भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

<u>अधिसूचना सं0 35 (आर.ई.–2013)/2009–2014</u>
नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त, 2013

विषयः प्याज के लिए निर्यात नीति।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, दिनांक 29.06.2012 की अधिसूचना सं. 03(आर.ई.–2012)/2009–2014 के पैरा 2 को तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है :

2. दिनांक 29.6.2012 की अधिसूचना सं. 03 (आर.ई.–2012)/2009–2014 के संशोधित पैरा 2 को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

> "निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 की क्रम सं.51 एवं 52 में मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात 650 यूएस डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यंत निशुल्क मूल्य के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित मूल्य के तहत अनुमत होगा।"

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज का निर्यात 650 यूएस डालर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन होगा।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः **dgft[at[nic[dot]in**

(फा0सं0 01/91/180/922/एएम'08/पीसी III/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)